

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रमाणक. एफ4 (68)आकाशि/नि.सं./2017/ 378

दिनांक- 22-6-2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित संकाय/विद्यार्थी सहित सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20(तीन वर्ष) के लिए स्नातक स्तर पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संघालय संस्था का नाम एवं पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
श्री रामवरुण अग्रवाल एजुकेशनल एण्ड रिसर्च कम्पनी देवी सोसायटी, मण्डावर, सारावली, मण्डावर, दौसा।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित- कला संकाय- अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, चित्रकला, राजनीति विज्ञान, सामाजशास्त्र, भूगोल। विज्ञान संकाय- गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, धनस्युतिशास्त्र।

- संस्था सत्र 2020-21 में निर्धारित अपघि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय से प्रकरण में 40सी0आई0 से मान्यता प विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विद्यार्थी सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति परचात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि लुप्तप्राय अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा सृजनी योग्यताधारी प्राध्यापक व व्याख्याता तथा अन्य अशिक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं वित्तविवरण प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करायेगी।
- मानचण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेजिमेंट (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सांख्यिकी गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना सनन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- गामा संरापन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- शिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- डिना कलेक्टर, दौसा।
- मुख्य सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
- साक्ष्यक शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- संकेत पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि0स0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर